अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

हड़मानराम पुत्र मदरूपाराम
ज़ाति नाई
निवासी कागो की ढाणी
तहसील सिणधरी व जिला बाडमेर

बनाम

दीपाराम पुत्र मदरूपाराम वगैरह
जाति नाई
निवासी कागो की ढाणी,
तहसील सिणधरी व जिला बाडमेर

मुकदमा स. 10 / 2017

तारीख हुक्म	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
23.01.2017	महोदय यह आवेदन पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है। 1.कोर्ट फीस पूर्ण है। 2.वाछित दस्तावेज सलंग्न / पूर्ण है। 3.प्रस्तुत आवेदन पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। 4.अतः आवेदन पत्र दर्ज करने योग्य है। अवलोकनार्थ एंव आदेशार्थ (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम)सिणधरी	
23.01.2017	यह आवेदन पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते–जवाव दिनांक 15.02.2017 को पेश हो। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी**	
15.2.17	वकील प्रार्थी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी (अतिरिक्त कार्य अधिकारी) दिगर प्रशासनिक कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते -तलबी दिनांक 15.3.17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

15.3.17 वकील प्रार्थी उपस्थित / विप्रार्थी की तामील साबित दिनांक 18.2.17 को करवाई गई थी। द्वितीय प्रति सम तलीड पत्रावली के संलग्न है। अब विप्रार्थी कावपुड सूचना के अनुपालना में पत्रावली वास्ते - बहस दिनांक 3.5.17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

8.5.17 पत्रावली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में तलब की गई। वकील प्रार्थी और विप्रार्थी उपस्थित / वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner